झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
सप्तम्(शीतकालीन)–सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,सोमवार,दिनांक– 30 कार्तिक, 1938 (श0) ---------- को 21 नवम्बर, 2016 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
53	अ0सू0–03	श्री राधाकृष्ण किशोर	उपयोगिता प्रमाण पत्र देना	योजना सह वित्त	13.11.16
54	अ0सू0–31	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	पुलिस पदाधिकारीयों के विरूद्ध कार्रवाई,	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
55	अ0सू0–33	श्री पौलुस सुरीन	मुआवजे का भुगतान	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
56	अ0सू0–28	डा0 इरफान अंसारी	जेल का निर्माण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
57	अ0सू0–39	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	पुलिस पिकेट की स्थापना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
58	अ0सू0–22	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	ओ0पी0का स्थापना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
59	अ0सू0–32	श्रीमती गीता कोड़ा	दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16
60	अ0सू0–09	श्री आलमगीर आलम	आश्रितों को मुआवजा	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.11.16

01	02	03	04	05	06
61	अ0सू0-05	श्री फूलचन्द मण्डल	अनुमण्डल का निर्माण	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	13.11.16
62	अ0सू0-44	श्री नागेन्द्र महतो	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
63	अ0सू0-14	श्री निरल पूर्ति	नियमानुसार परीक्षाफल का प्रकाशन।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	13.11.16
64	अ0सू0-37	श्री दीपक विरूवा	जिला स्थापना समिति में जन प्रतिनिधियों का मनोनयन।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16
65	अ0सू0-26	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	नियमानुसार पटाखा बिक्री की व्यवस्था।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
66	अ0सू0-34	श्री राज सिन्हा	पेंशन योजना में शामिल करना।	योजना सह वित्त	16.11.16
67	अ0सू0-17	प्रो0जयप्रकाश वर्मा	पुलिस चौकी की स्थापना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.11.16
68	अ0सू0-01	श्री रविन्द्रनाथ महतो	पदाधिकारियों का स्थानांतरण	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	13.11.16
69	अ0सू0-16	श्री कुणाल षडंगी	धारा 353 को जमानतीय करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.11.16
70	अ0सू0-10	श्री अशोक कुमार	अधूरे कार्य को पुरा करना।	मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं निगरानी	13.11.16
71	अ0सू0-21	श्री लक्ष्मण टुडू	खातियान में जाति कॉलम बदलना।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	13.11.16
72	अ0सू0-35	श्री बिरंची नारायण	प्रमाण पत्र बनाने में सरल प्रक्रिया अपनाना।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16
73	अ0सू0-42	श्री नागेन्द्र महतो	दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16

01	02	03	04	05	06
74	अ0सू0-27	श्री ढुलू महतो	पंचायत का निर्माण	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16
75	अ0सू0-43	श्री नलिन सोरेन	दोषी पदाधिकारीयों को दंडित करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
76	अ0सू0-20	श्री शशिभूषण सामाड़	वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	13.11.16
77	अ0सू0-41	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	पानी फिल्टर की व्यवस्था।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
78	अ0सू0-36	श्रीमती गीता कोड़ा	अनियमितता की जाँच।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16
79	अ0सू0-18	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	पदाधिकारीयों का स्थानांतरण।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	13.11.16
80	अ0सू0-11	श्री प्रदीप यादव	दोषियों को दंडित करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.11.16
81	अ0सू0-06	श्री रामकुमार पाहन	मुआवजा का भुगतान।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.11.16
82	अ0सू0-29	श्री बिरंची नारायण	सर्विस रूल के आलोक में कार्रवाई।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16
83	अ0सू0-40	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	विशेष आपदा निवारण केन्द्र की स्थापना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
84	अ0सू0-30	श्री आलमगीर आलम	प्रोन्नति का लाभ देना	योजना सह वित्त	16.11.16
85	अ0सू0-24	श्री प्रकाश राम	प्रोन्नति का लाभ देना।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16
86	अ0सू0-19	श्री राजकुमार यादव	मुआवजा का भुगतान।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.11.16

कृ0पृ030/-

01	02	03	04	05	06
87	अ0सू0-45	श्री मनीष जयसवाल	प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र सीमा की बढ़ोत्तरी।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16
88	अ0सू0-38	श्री दीपक बिरुवा	प्रोन्नति का लाभ देना।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16
89	अ0सू0-08	श्री अमित कुमार	निलम्बन समाप्त करना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.11.16
90	अ0सू0-23	श्री प्रकाश राम	मुआवजा का भुगतान।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
91	अ0सू0-15	श्री कुणाल षड़ंगी	अनुसूचित जाति की श्रेणी में डालना।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	13.11.16
92	अ0सू0-13	श्री अनन्त कुमार ओझा	अग्निशामन केन्द्र स्थापित करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.11.16
93	अ0सू0-07	श्री फूलचन्द मण्डल	प्रखण्ड का निर्माण।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	13.11.16
94	अ0सू0-46	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	पदों की स्वीकृति एवं पद स्थापन।	कार्मिक प्रशा0 सु0 एवं राजभाषा	16.11.16
95	अ0सू0-02	ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पुलिस पिकेट की स्थापना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.11.16
96	अ0सू0-12	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	योजनाओं की उच्च स्तरीय जाँच	योजना सह वित्त	13.11.16
97	अ0सू0-25	डा0 अनिल मुर्मू	कैदियों को मुक्त करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.11.16
98	अ0सू0-04	श्री राधाकृष्ण किशोर	आपदा राहत की व्यवस्था।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.11.16

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

राँची
दिनांक-21नवम्बर,2016 (ई0)।
ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-03/15-3463 /वि0स0,राँची,दिनांक- 18 नवम्बर,2016 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधा-सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।
क0पृ0 30/-

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–03/15–3463/वि0स0,राँची,दिनांक– 18 नवम्बर,2016 ई0।

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, एवं प्रभारी सचिव, के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, एवं प्रभारी सचिव, महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/16

अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–03/15–3463/वि0स0,राँची,दिनांक– 18 नवम्बर,2016 ई0।

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/16

अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

18/11/2016

मराण्डी/–

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0–03 का उत्तर प्रतिवेदन:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006–07 से लेकर वर्ष 2014 तक झारखण्ड सरकार के कृषि स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, परिवहन, नगर विकास, पथ निर्माण, कल्याण आदि अन्य विभागों के लिए उपलब्ध बजटीय राशि में से कुल 18777.11 करोड़ रूपये का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड को अप्राप्त है ।	स्वीकारात्मक ।
2.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि खंड–। में वर्णित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड को उपलब्ध कराने हेतु कौन सी कार्रवाई कर रही है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सभी विभागों को लगातार निर्देशित किया जाता रहा है । प्रश्नगत उल्लिखित राशि से ज्यादा की राशि पूर्व में सन्निहित थी। वित्त विभाग के स्तर से लगातार हो रहे अनुश्रवण के फलस्वरुप स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इस संबंध में दिनांक 02.09.16 को हुई अंतिम बैठक में सभी संबंधित विभागों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अपने अपने विभागों से एक एक नोडल पदाधिकारी नामित करें। उक्त पदाधिकारी महालेखाकार कार्यालय तथा वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में त्वरित कार्रवाई करेंगे। इस दिशा में हो रही कार्रवाई के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में इस तरह की राशि अत्यल्प हो जायेगी।

झारखण्ड सरकार

<u>योजना सह वित्त विभाग</u>

–::–

ज्ञाप सं0:– 10/वि0स0(4) 38/2016 2001/वि0 राँची दिनांक :– 19/11/16

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3220/वि0स0 दिनांक 13.11.2016 के आलोक में प्रश्नोत्तर की अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

15.11.16

(अविनाश कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि आई०पी०सी० /पी०आर०सी०पी० की धारा–353 के तहत पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा मानमानी तरीके से केस दर्ज कर दिया जाता है जिससे उक्त धारा का दुरूपयोग हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि पुलिस पदाधिकारियों द्वारा उक्त धारा का दुरूपयोग करने से आम जनता को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त धारा का दुरूपयोग करने वाले वैसे पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ–साथ उक्त धारा का सदुपयोग करने का निर्देश जारी करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अपेक्षित नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–06/वि०स०–04/07/2016-5294/ राँची, दिनांक–20/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री पौलुस सुरीन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची के मोराहबादी मैदान में पिछले माह–22.10.2016 को CNT-SPT Act. संशोधन के विरोध का राज्यस्तरीय प्रदर्शन आहूत किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के उस प्रदर्शन में ग्राम साइको के नागरिक आ रहे थे, जिन्हें खूंटी पुलिस प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक मारपीट कर गोली चलाई, जिससे अब्राहम मुण्डू, ग्राम सोयको की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसका आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उजागर नहीं किया गया, ना ही कोई सरकारी मुआवजा दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त काण्ड पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है। दिनांक–22.10.2016 को झारखण्ड राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा सी0एन0टी0 एवं एस0पी0टी0 एक्ट के संशोधन के विरोध में राँची के मोहराबादी मैदान में एक विशाल आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया था। उक्त महारैली के दौरान खूँटी जिला में विधि–व्यवस्था संधारण हेतु कई जगहों पर चेक पोस्ट का निर्माण कर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। लगभग 1000–1500 की संख्या में ग्रामीण पारंपरिक हथियारों से लैस होकर जिसमें उग्रवादी भी शामिल थे, सायको के पास रोड जाम किये हुये थे। इसी समय अपर पुलिस अधीक्षक, अभि0 खूँटी अभियान के बाद एस0एस0बी0 कैम्प हूँठ से वापस आ रहे थे, कि ग्राम सायको के पास ग्रामीणों जिन में उग्रवादी तथा असमाजिक तत्व भी शामिल थे द्वारा इन्हें एवं इनके साथ सशस्त्र बल को रस्सी से घेर कर बंधक बना लिया गया। तथा "सेंदरा" (सामूहिक हत्या) करने की बात करने लगे। सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी, अड़की एवं पुलिस उपा0, मु0, खूँटी उनकी सहायता हेतु ग्राम सायको पहुँचे। उनके पहुँचते हीं ग्रामीणों ने बल पर पथराव एवं जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस उपा0 मु0, एवं कुछ जवान घायल हो गये। काफी समझाने के बावजूद भी उग्र भीड़ समझने को तैयार नहीं थे एवं बंधक बनाये गये पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को सेंदरा करने ले जाने लगे। तत्पश्चात पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलायी, जिसमें ग्रामीण अब्राहम मुण्डू मारा गया एवं कुछ ग्रामीण घायल हो गये थे। इस संदर्भ में 1. सुशील तेरोम पे0 पौलुस तेरोम सा0 हेम्ब्रोम, 2. खड़िया सोय, पे0–स्व0 मुन्ना सोय सा0–कोलम्बे, थाना–मूरहू, 3. एतवा मुण्डा पिता–मांगो मुण्डू सा0–बारीजिनकेल थाना–अड़की, 4. अब्राहम मुण्डु पे0 नामालुम, 5.चमरा मुण्डा पे0 बाघा मुण्डा सा0 हेम्ब्रम थाना अड़की, 6. विमल लोहरा पे0 नामालुम सा0 रायतोडांग सोहन सिंह मुण्डा पे0 स्व0 गोपाल सिंह मुण्डा सा0 कुडापूर्ति थाना मुरहू एवं अन्य करीब अज्ञात 1400–1500 के विरूद्ध मूरहू थाना काण्ड सं0–71/16 दिनांक 22.10.16 धारा–147/ 148/ 149/ 323/ 324/325/ 307/ 332/ 333/ 353/427/342 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत काण्ड अंकित है। गोलीकांड के मृतक अब्राहम मुण्डु का पोस्टर्मार्टम कराया जा चुका है तथा काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुआवजा देते हुए शहीद का दर्जा देना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मृतक की आश्रित पत्नी सरानी मुण्डु को रू0 2,00,000/–(दो लाख रूपया) मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–41/2016.....5289..... राँची, दिनांक–19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3340, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा ज़िला का जेल कैदियों की संख्या के अनुपात में छोटा पड़ रहा है, जिससे कैदियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक। मंडल कारा, जामताड़ा में पुरूष बंदियों की संसीमन क्षमता 125 है जिसके विरूद्ध दिनांक–18.11.2016 को कुल 180 बंदी संसीमित हैं।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान जेल के बदले दूसरे स्थान को चिन्हित कर बड़ा जेल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मंडल कारा, जामताड़ा के नये कारा भवन के निर्माण हेतु मौजा–मदनाडीह, थाना सं०–47, खाता सं०–110, दाग सं०–2827 (9.2 एकड़ भूमि), दाग सं०–2968 (11.12 एकड़ भूमि) एवं दाग सं०–2860 (80 एकड़ भूमि) अर्थात कुल 21.12 एकड़ पुरातन पतीत भूमि के चयन एवं हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–26/2016-6299/ राँची, दिनांक–19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3335, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक– 21.11.2016 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–39 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के चिनीया के रनपुरा, गढ़वा के अन्य रमकण्डा प्रखण्ड के एवं उदयपुर में पुलिस पिकेट नहीं होने से आए दिन अपराधी घटनाएँ होती रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। गढ़वा जिले के चिनीया थानान्तर्गत रनपुरा में पुलिस पिकेट नहीं है, किन्तु रमकण्डा प्रखण्ड के उदयपुर में पुलिस पिकेट संचालित है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड एक (1) में वर्णित स्थलों पर पुलिस पिकेट खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिनीया थाना से रनपुरा की दूरी लगभग 12 कि०मी० है। इस क्षेत्र में विधि–व्यवस्था संधारण का कार्य चिनीया थाना के स्तर से नियमित गश्ती के द्वारा किया जाता है। सम्प्रति रनपुरा में पुलिस पिकेट की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–26/2016.6301/ राँची, दिनांक–19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3336, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला का सनातू प्रखण्ड के पदमा पिकेट अत्यन्त उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहाँ ओ०पी० के अभाव में कार्य प्रभावित है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पदमा पिकेट को ओ०पी० बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पदमा ओ०पी० सृजन के प्रस्ताव पर पुलिस उप–महानिरीक्षक, पलामू से मंतव्य/अनुशंसा की मांग की गयी है, अनुशंसा प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांक–16/वि०स०–25/2016 6298/ रॉंची, दिनांक–19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3337, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

श्री आलमगीर आलम, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदा 'लू' लगने एवं सर्पदंस से लगभग 300 व्यक्तियों की मृत्यु होती है ;	1. आंशिक स्वीकारात्मक । विगत पाँच वर्षो में राज्य में लू से मृत व्यक्तियों की संख्या–11 है ।
2. क्या यह बात सही है कि प्राकृतिक आपदा 'लू' लगने एवं सर्पदंस से मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि देने को कोई प्रावधान नहीं रहने से आश्रित परिवार के सदस्यों को जीवन यापन में कठिनाई होती है ;	2. भारत सरकार द्वारा अब तक बारह (12) प्राकृतिक आपदाओं (हिमस्खलन/बादल फटना/चक्रवात/सूखा/भूकम्प/अग्निकांड/बाढ़/ओलावृष्टि/भू–स्खलन/टिड्डा एवं कृंतक संकट/सुनामी/शीतलहर व पाला) एवं राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा वज्रपात एवं अल्पवृष्टि से प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से अनुग्रह राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । इसमें लू एवं सर्पदंस से मृत्यु आपदा की सूची में शामिल नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राकृतिक आपदा 'लू' लगने एवं सर्पदंस से प्रभावित मृतक परिवार के आश्रितों को भी मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3. उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–52/2016–1145/आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/11/16.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3213, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016
सरकार के अवर सचिव

माननीय स०वि०स० श्री फुलचन्द मंडल द्वारा दिनांक 21.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आजादी से पहले सन 1833 ई० में रेगुलेशन एक्ट 13 के तहत अंग्रेजों द्वारा विभिन्न स्टेटों को मिलाकर मानभूम जिला का गठन हुआ था;	पूर्ववर्त्ती मानभूम जिले से वर्ष 1956 में धनबाद जिला का गठन किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि नगरकियारी, पाण्ड्रा, टुण्डी, कतरासगढ़ झरिया, नवागढ़ आदि स्टेट्स को मिलाकर सन् 1852 ई० में गोविन्दपुर अनुमंडल का गठन हुआ तथा इसका मुख्यालय पहले बागसुमा, इसके पश्चात् सन् 1872 ई० में गोविन्दपुर बाजार को बनाया गया था;	संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि सन 1908 ई० में गोविन्दपुर अनुमण्डल का स्थानांतरण धनबाद अनुमंडल के रूप में हो गया था;	संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
4.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर, निरसा एवं टुण्डी प्रखण्ड को मिलाकर गोविन्दपुर को अनुमंडल बनाने की माँग वर्षों से लंबित है;	इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार के स्तर पर विचार किया जायेगा।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोविन्दपुर, निरसा, टुण्डी एवं पूर्वी टुण्डी को मिलाकर गोविन्दपुर को अनुमंडल बनाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–30/2016 का०– 9751 /राँची, दिनांक– 18.11.16

प्रतिलिपि–अ० स०, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3222, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 18/11/16

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–44 की उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, राँची, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, राजमहल (साहेबगंज), पश्चिम सिंहभूम, खूँटी, दुमका जिलों में प्राकृतिक आपदाओं एवं जन्तु–जानवरों के हमलों से प्रति वर्ष सैंकड़ों लोग मारे गये हैं, तथा सैंकड़ों लोग घायल हो गये है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बारह (12) प्राकृतिक आपदाओं (हिमस्खलन / बादल फटना / चक्रवात / सूखा / भूकम्प / अग्निकांड / बाढ़ / ओलावृष्टि / भू–स्खलन / टिड्डा एवं कृतक संकट / सुनामी / शीतलहर व पाला) एवं राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा वज्रपात एवं अल्पवृष्टि से संबंधित अधियाचना विभाग को प्राप्त होता है । विभाग द्वारा उक्त आपदाओं से प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद एवं मापदण्ड के अनुरूप शीध्र राशि आवंटित की जाती है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित आपदाओं से पीड़ित परिवारों को पिछले तीन (3) वित्तीय वर्षो के दौरान राशि उपलब्धता के बावजुद मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ?	अस्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित आपदाओं के शिकार हुये पीड़ित परिवार को तत्काल उचित मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है, जिसका लगातार उल्लंघन हो रहा है ?	अस्वीकारात्मक ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पिछले तीन (3) वित्तीय वर्षो के दौरान राज्य के आपदा पीड़ितों के लिये जारी की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराते हुये दोषियों पर विधिसम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को राहत हेतु किये गये आंवटन का ब्यौरा –

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि
2014–15	24,21,75,251 / – (चौबीस करोड़ इक्कीस लाख पचहत्तर हजार दो सौ इक्यावन) रूपये ।
2015–16	533,80,97,256 / – (पाँच सौ तैंतीस करोड़ अस्सी लाख संतानबे हजार दो सौ छप्पन) रूपये ।
2016–17 (10.11. 2016 तक)	116,43,45,760 / – (एक सौ सोलह करोड़ तैतालीस लाख पैंतालीस हजार सात सौ साठ) रूपये ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक:–07 / गृ०का०आ०(विधायी)–60 / 2016–1150 / आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/11/16

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3351, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में / विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग / अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016
सरकार के अवर सचिव

माननीय श्री निरल पुरती, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक–21.08.2016 को सचिवालय सहायक एवं अन्य पदों के लिए परीक्षा आयोजित किया गया था ?	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि आयोग के नियमावली के अनुसार 15 गुणा परीक्षाफल प्रकाशित करने का प्रावधान है ?	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि 15 गुणा परीक्षाफल प्रकाशित नहीं कर दिनांक–25.10.2016 को 12 गुणा परीक्षाफल प्रकाशित कर नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है ?	इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन सं0–14/2015 एवं 15/2015 की कंडिका–12 में यह प्रावधानित है कि रिक्त्यिों के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा के मेधा सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए किया जायगा। स्नातक स्तर के 14 विभिन्न संवर्गों के पदों की रिक्तियाँ आयोग को संसूचित हैं। विज्ञापन की कंडिका–5 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उक्त 14 विभिन्न संवर्गों के पदों को 07 समूहों में विभक्त किया गया है तथा विज्ञापन की कंडिका–10(क) में शैक्षणिक योग्यता धारण के अनुसार पदों की अधिमानता क्रम अंकित करने का निदेश अभ्यर्थियों को दिया गया है। स्पष्टतया कोई भी अभ्यर्थी विभिन्न सेवाओं एवं संवर्गों के सभी 14 पदों की शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन की कंडिका–5 एवं 6 में अंकित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप 07 पद समूहों की संसूचित रिक्तियों के आधार पर परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। 06 पद समूहों की संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध 15 गुणा अभ्यर्थी उपलब्ध हुए हैं परन्तु "कृषि स्नातक" शैक्षणिक योग्यता के लिए पद यथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक की संसूचित 222 रिक्तियों के विरूद्ध 15 गुणा अर्थात 3330 के स्थान पर मात्र 1731 अभ्यर्थी ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदक हैं, जिन्हें मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। विज्ञापन की कंडिका–5 के अनुसार सभी पदों के लिए अलग–अलग मेधा सूची गठित है। इस प्रकार नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं की समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आयोग द्वारा बनाये गये नियमावली के आलोक में 15 गुणा परीक्षाफल प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–13/2016 का0 9742 /राँची दिनांक– 18 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3225, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.16

(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–37 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि जिला स्थापना समिति की बैठक वर्ष में 2 बार जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की स्थानान्तरण संबंधित निर्णय लेने के लिये आयोजित की जाती है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। आवश्यकता अनुसार उपायुक्त द्वारा जिला स्थापना समिति की बैठक आहूत की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सांसद एवं विधायकों को शामिल नहीं किया जाता है ;		स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिला स्थापना समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सांसद एवं विधायकों को शामिल करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जिला स्थापना समिति की बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सदस्य के रूप में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–3/अ0क्षे0स्था0 (अ0सू0)– 135/2016 6022/रा0 राँची, दिनांक– 19-11-16

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3328/वि0स0, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/उप सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–9757, दिनांक–18.11.16 के प्रसंग में/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.16

सरकार के संयुक्त सचिव

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि Explosives Act, 1884 तथा Explosives Rules, 1983 के अंतर्गत पटाखों की बिक्री हेतु लाईसेंस लेना और नियमानुसार सुरक्षित गोदाम तथा आबादी से दूर विक्रय स्थल की व्यवस्था करना अनिवार्य है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नियामनुसार त्योहारों से पूर्व पटाखा दुकानों को बंद कराकर खुले मैदान में पटाखा बिक्री संबंधी नियम का अनुपालन किसी भी जिले में नहीं किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पटाखों का व्यापार नियमानुसार सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	जिला प्रशासन द्वारा त्योहारों के अवसर पर पटाखा बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जाती है जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पटाखों का व्यापार नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09/वि०स० (10)–09/2016.5291/ राँची, दिनांक–19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3344, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राज सिन्हा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रशन संख्या 34 की उत्तर सामग्री :-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जून 2007 में 01 हजार 9 सौ 91 जनगणना कर्मचारी की छटनी के पश्चात् नियुक्त राजस्व कर्मचारियें के अेतन से C.P.F की कटौती की जाती है ।	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि 2 अप्रैल 2004 को ही कैबिनेट की बैठक में राजस्व कर्मचारियें की कटौती C.P.F के स्थान पर G.P.F में करने का निर्णय लिया गया था ।	अस्वीकारात्मक । दिनांक 06.11.2004 के कैबिनेट की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मियें हेतु अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है ।इन कर्मियें की नियुक्ति 2007 में हुई थी ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, खण्ड (1) में वर्णत कर्मियें को G.P.F की कटौती कर पेंशन योजना में शामिल करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	नही । वित्त विभाग के संकल्प संख्या 518 दिनांक 09.12.2004 के द्वारा दिनांक 01.12.2004 या इसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मियें पर अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है ।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

--::--

ज्ञापांक :- 10/वि०स०(4)-40/2016 /99/वि.प्र. रॉंची, दिनांक 19/11/16

प्रतिलिपि :- उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

19.11.16
(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

श्री प्रो० जय प्रकाश वर्मा, माननीय सदस्य विधान सभा के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत गिरिडीह सदर के कोवाड में पुलिस चौकी की स्थापना की गई थी, जो अब समाप्त हो गयी है,	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि कोवाड पुलिस चौकी के द्वारा सेनादोनी, पहाड़पुर, जीतपुर, अलगुन्दा, लेदा, बजटों सिन्दवरिया पंचायतों की आवाम को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती थी तथा इन पंचायतों के साथ जंगलो की भी रक्षा पुलिस चौकी के माध्यम से की जाती थी,	स्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोवाड में पुलिस चौकी की फिर से स्थापना करने की मंशा रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	सम्प्रति गिरिडीह जिला अंतर्गत गिरिडीह सदर के कोवाड में पुलिस चौकी बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव तत्काल सरकार के समक्ष लंबित नहीं है। पुलिस अधीक्षक के स्तर से उचित माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०– 24/2016 6297/ राँची, दिनांक 19/11 /2016 ई०।

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 3246, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री कुणाल षाडंगी, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 21.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0 –16 की
उत्तर सामग्री

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पड़ोसी राज्य बिहार, प0 बंगाल, उड़ीसा मे आई0पी0सी0 की धारा 353 के तहत दायर मुकदमें जमानतीय है, जबकि झारखण्ड में यह गैर जमानतीय है।	धारा–353, भा0द0वि0 के अंतर्गत दायर वादों को अपराध प्रकिया संहिता के अनुसूची–1 में संसद द्वारा वर्ष 2005 के एक्ट–25 के द्वारा संशोधित कर गैर जमानतीय घोषित किया गया है, जो दिनांक 23.06.2006 से लागू है। झारखण्ड के अन्य पड़ोसी राज्य बिहार, प0 बंगाल एवं उड़ीसा में धारा 353 के संबंध में विद्यमान वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्षों में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा इसका दुरूपयोग करके जनान्दोलनों को दबाने तथा विरोधी राजनीतिक पार्टियों के नेता एवं कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है।	अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काल झारखण्ड में आई0पी0सी0 के धारा 353 को जमानतीय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धारा–353 के संशोधन के संबंध में वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक– 6/वि0स0–04/06/2016.....5287...../राँची, दिनांक 19.11.2016 ई0.

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रति के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव

C:\Users\Arjun_Home\Desktop\PP6\vidhan sabha.doc P-1

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 21.11.2016 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–10 की उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक 4199 दिनांक 23.09.2015 द्वारा गोड्डा जिलांतर्गत महगामा जलापूर्ति योजना के कार्यों के क्रियान्वयन में बरती गयी अनियमितता के समेकित जाँच हेतु झारखण्ड सरकार के मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को पत्र भेजा गया था?	उत्तर स्वीकारात्मक है। 2. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 2434 (अनु0), दिनांक 2.12.2015 द्वारा विषयांकित मामले की जांच का आदेश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, रांची को दिया गया है एवं विभागीय पत्रांक 285, दिनांक 11.2.2016, पत्रांक 1045, दिनांक 27.5.2016 एवं पत्रांक 1671, दिनांक 10.8.2016 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित भी किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि करीब चौदह माह बीत जाने के बाद भी अभी तक जाँच की कार्यवाही पूर्ण नही किया गया है, जबकि अधिकतम तीन–चार. महीने में जाँच पूर्ण किया जाना था, इस जाँच की कार्यवाही पूर्ण नही किये जाने के कारण वर्णित जलापूर्ति योजना का अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण नही किया जा रहा है।	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 8727 दिनांक 17.08.2016 एवं पत्रांक 11991 दिनांक 17.11.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि जाँच की बारीकियों एवं व्यापकता के कारण जाँच पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है। जाँच प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाँच प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए महागामा जलापूर्ति योजना के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	कण्डिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(निगरानी प्रभाग)

ज्ञापांक : 06 / नि0वि0 / विधान सभा–05 / 2016...2240.../ राँची, दिनांक...18.11.2016.../

प्रतिलिपि: 200 प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 3226 दिनांक 13.11.2016 (अ0सू0प्र0–10) के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.16

(रामा शंकर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

माननीय श्री लक्ष्मण टुडू, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 21.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन।

माननीय श्री लक्ष्मण टुडू, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 21.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत अंकित है:–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संथाल अनुसूचित जनजाति कि एक उपजाति है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 27 पर 'संताल' जाति अंकित है।
2	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षत्र जैसे पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत गुड़बान्धा प्रखण्ड में कई संथाल जाति के लोगों के खतियान के जाति कॉलम में माझी दर्ज किया गया है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत नहीं आते हैं जिस कारण वे अपना जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं करा पा रहें है;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र जैस पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत गुड़ाबन्दा प्रखण्ड में कई संथाल जाति के लोगों के खतियान के जाति कॉलम में माझी दर्ज किया गया है जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत नहीं आते हैं परन्तु स्थानीय जाँच के उपरान्त गुड़ाबान्दा प्रखण्ड में ऐसे लोगों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त जाति के लोग अनुसूचित जनजाति होने के बावजूद जातीय आरक्षण जैसे:– पठन–पाठन, नौकरी आदि के लाभ से वंचित है;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका 2 से स्थिति स्पष्ट है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जाति के खतियान के जाति कॉलम में माझी को बदल कर संथाल करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 1,2 एवं 3 के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–46 / 2016 का0– 3718 / रांची, दिनांक 18.11.16

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–3218 वि0स0 दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में 250(दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/2016

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

माननीय श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 21.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–35 का उत्तर प्रतिवेदन।

माननीय श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 21.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–35 का उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत अंकित हैः–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सामाजिक–आर्थिक जातीय जनगणना 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 1.93 लाख आदिवासी परिवारों के पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों की आजीविका मजदूरी पर निर्भर है;	अंशतः स्वीकारात्मक। भूमिहीन परिवारों का ऑकड़ा विभाग में उपलब्ध नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त भूमिहीन आदिवासियों के पास भूमि न होने के कारण खतियान भी उपलब्ध नहीं है, जिससे उनका नियोजन हेतु स्थानीय प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान, संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 के अनुसार छः विभिन्न शर्त्तों के आधार पर निर्धारित की जाती है। विनिश्चित शर्त्तों में से किसी एक शर्त्त को पूरा करने वाला भारतीय नागरिक झारखण्ड के स्थानीय निवासी माने गये हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे भूमिहीन आदिवासियों के कल्याणार्थ खतियान के अभाव में नियोजन हेतु प्रमाण–पत्र बनने में सरल प्रक्रिया सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में प्रश्न की कंडिका–3 का कोई औचित्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–49 / 2016 का0– 9763 / रांची, दिनांक 18/11/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–3330 वि0स0 दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/2016

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–43 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी दुमका के गृह रक्षक सं०–8565 सोबान मुर्मू काठीकुण्ड थाना में प्रतिनियुक्त के दौरान ड्यूटी में वाहन दुर्घटना से मृत्यु दिनांक–11.03.2011 को हो गयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मृतक के आश्रित को ज्ञापांक–450, दिनांक–14.03.2015 के आलोक में दो लाख रूपये मुआवजा भुगतान किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड रक्षा वाहिनी मुख्यालय, राँची के ज्ञापांक–1954/ दिनांक–15.10.2015 के आलोक में आश्रित परिवार के पुत्र फिलीमन मुर्मू ने नव–नामांकन हेतु शपथ पत्र व अनुशंसा पत्र मुख्यालय में जमा होने के बाद भी नव–नामांकन नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक। चुँकि गृह रक्षक स्व० सोबान मुर्मू की मृत्यु दिनांक–19.03.2011 को हुई थी उस समय मृत गृह रक्षक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर गृह रक्षक के रूप में नव–नामांकन का प्रावधान नही था। फलस्वरूप इनका नामांकन नही किया गया। उल्लेखनिय है कि झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली 2014 के दिनांक–20.10.2014 से प्रवृत्त होने के उपरांत कर्त्तव्य के दौरान गृह रक्षकों की मृत्यु होने पर उनके योग्य आश्रित को गृह रक्षक के रूप में नव–नामांकन किये जाने का प्रावधान किया गया है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आश्रित के पुत्र फिलीमन मुर्मू को नव–नामांकन करने व दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर दंडित करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयं सेवक) नियमावली, 2014 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में मृतक गृह रक्षक 8565 स्व० सोवान मूर्मू के आश्रित पुत्र को गृह रक्षक के रूप में नव नामांकित करने हेतु विभागीय पत्रांक–5285, दिनांक–19.11.2016 के द्वारा उपायुक्त, दुमका को अग्रतर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स० (प्रश्न)–11/2016.5290/ राँची, दिनांक–19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3350, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–20 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर एवं बन्दगाँव प्रखण्ड के प्रखण्ड कार्यालयों से निर्गत होने वाले प्रमाण पत्रों (जाति, आय, आवासीय) को ऑनलाईन (Online) किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रमाण पत्रों का समय सीमा पर निर्गत नहीं होने के कारण आम ग्रामीणों एवं छात्र–छात्राओं को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। कभी–कभी नेटवर्क बाधित रहने के कारण, Login नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में Manual प्रमाण–पत्र समय सीमा के अन्दर निर्गत किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रमाण पत्रों को ऑनलाईन (Online) सुविधा के अभाव में वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर कंडिका–2 में स्वतः स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि0स0प्र0–08–04 / 2016 का0 9713 / राँची, दिनांक– 18 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के पत्रांक–3249 / वि0स0, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में दो सौ प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.16

(अजय कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–41 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के केन्द्रीय कारा (सेन्ट्रल जेल) एवं मंडल कारा में शुद्ध पेयजल हेतु फिल्टर (R.O) नहीं लगाया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2	यदि उक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी कारागारों में फिल्टर (R.O) लगाना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य के सभी केन्द्रीय एवं मंडल काराओं में बंदियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु फिल्टर (R.O) अधिष्ठापित है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–25/2016 6296 / राँची, दिनांक– 19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3343, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई0 गवर्नेंस विभाग

प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा राँची–4

पत्रांक : सू.प्रौ./विधानसभा प्रश्न–185/2016 3260 रांची, दिनांक 17.11.16

प्रेषक,

सर्वेश सिंघल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,
झारखण्ड

विषयः– श्रीमती गीता कोड़ा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.11.2016 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं0 36 का उत्तर झारखण्ड विधान सभा को भेजने के संबंध में।

प्रसंगः– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित ज्ञाप सं0 3331 दिनांक 16.11.2016 (प्रतिलिपि संलग्न)

महाशय,

उपरोक्त विषय प्रासंगिक पत्र के क्रम में उत्तर सामग्री निम्न प्रकार से है :

क्रम0सं0	अल्प सूचित प्रश्न	वांछित उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि JAP-IT/JBVNL/नियुक्ति/01/2016 दिनांक 18/04/2016 के तहत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 के लिए विभिन्न पदों में नियुक्ति हेतु 86 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया गया था।	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है खंड– 01 में वर्णित विज्ञापन के आलोक में 86 अभ्यर्थियों के पैनल में आरक्षण नियमों की अनदेखी करते हुए भारी अनियमितता बरती गई है।	अस्वीकारात्मक (86 अभ्यर्थियों का कोई पैनल तैयार नहीं किया गया था। परियोजनाओ के परिचालन हेतु अल्प तथा परियोजना की अवधि तक के लिए आवश्यकतानुसार अनुबंध पर मानव संसाधन का उपयोग किया जाता है। इस तरह की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जाता है ।)
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–01 में वर्णित JAP-IT का विज्ञापन के तहत की गयी नियुक्तियों के संदर्भ में	लागू नहीं ।

	तैयार की गई पैनल में बरती गई अनियमितताएं की जॉच करने तथा आरक्षण नियमों के पालन में अनदेखी के जिम्मेदार दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कारवाई करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यो?	

विश्वासभाजन,
18/11/16
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 3260 दिनांक 19.11.16

प्रतिलिपि : श्री दिलीप तिर्की, उप सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/16
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 3260 दिनांक 19.11.16

प्रतिलिपि : सचिव के आप्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गर्वनेस विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/16
सरकार के विशेष सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में हजारीबाग के बड़कागांव, रामगढ़ के गोला और खूँटी के सोयको में पुलिस फायरिंग में कुल 7 लोगों की एवं जामताड़ा में पुलिस पिटाई से मिहनाज की मौत हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पुलिस फायरिंग से हजारीबाग के बड़कागांव में 04, रामगढ़ जिले के गोला में 02 एवं खूँटी के सोयको में 01 यानी कुल 07 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जबकि जामताड़ा में पुलिस पिटाई के कारण मो० मिहनाज की मृत्यु नही हुई है। शव परीक्षण में भी पिटाई की पुष्टि नही हुई है एवं चिकित्सकों नें अंतिम मंतव्य के पूर्व मृतक के 'भिसरा' की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराया जाना आवश्यक बताया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन घटनाओं की न्यायिक जांच कराकर दोषियों को दंडित कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	रामगढ़ जिला के गोला पुलिस गोली चालन की जांच प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा करायी गई है तथा जांच में दोषी पाए गए पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को निदेशित किया गया है। बड़कागांव कांड की जांच उच्चस्तरीय कमिटि को सौंपी गई है एवं खूँटी कांड अभी अनुसंधान्तर्गत है। उक्त परिपेक्ष्य में, वर्णित कांडों की न्यायिक जांच की आवश्यकता नही प्रतीत होती है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स० (04)–40 / 2016 5228 / राँची, दिनांक– 19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3216, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016
को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–06 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के ग्राम साल्हन में जनवरी मार्च, 2016 में हुए बज्रपात/गर्जन/तेज हवा से प्रकाश महतो का घर में शॉट सर्किट से पुरा घर का समान जलकर राख हो गया एवं उक्त गाँव के ही अगमलाल महतो, रमण महतो, एवं प्रदीप मुण्डा का घर का छत उड़ गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि नुकसान की जाँच पड़ताल उक्त प्रखण्ड के कर्मचारियों द्वारा किया गया इसके वावजुद मुआवजा की राशि उनलोगों को अबतक नहीं मिला है ;	श्री प्रकाश महतो के मकान की जाँच की गई थी एवं अन्य व्यक्तियों के मकानों की क्षति की सूचना उक्त समय में नहीं होने के कारण उनके मकानों की जाँच नहीं की गयी थी । जाँचोंपरान्त मुआवजा राशि का भुगतान नियमानुसार कर दी जायेगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गॉव के प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, राँची को विभागीय पत्रांक–1152 दिनांक–19.11.2016 द्वारा निदेशित किया गया है कि यदि किसी प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान लंबित हो तो 15 दिनों के अन्दर अनुमान्य राशि का भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–54/2016–1154/आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/11/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3217, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016
सरकार के अवर सचिव

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–40 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला में तेज आंधी से घरों का छत उड़ना, अतिवृष्टि से कच्चा मकान का ध्वस्त होने हाथियों के झुंड द्वारा कच्चे मकान तथा फसलों को नुकसान पहुँचाना, वज्रपात तथा सांप सियार, पागल कुत्ता, खपरविच्छा के काटने से लोगों का मौत होना आग, बिजली के तार टुटने से जानवरों तथा इंसानों की मृत्यु एवं आकाल एवं सुखाड़ रहता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उसके लिए ससमय राहत नहीं मिल पाता है, जिसका मुख्य कारण विशेष पदाधिकारी का नहीं होना है ;	अस्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भिन्न–भिन्न समस्याओं/आपदाओं से ग्रसित गढ़वा जिला में एक विशेष आपदा निवारण केन्द्र एवं विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में किये गये प्रावधानानुसार अन्य जिलों के साथ–साथ गढ़वा जिला में भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार स्थापित है, जिसके अध्यक्ष, उपायुक्त हैं।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–59/2016–1146/आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/11/16.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3342, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016
सरकार के अवर सचिव

श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि श्री विद्या प्रसाद सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, साहेबगंज से दिनांक–31.07.2011 को सेवानिवृत हुए है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–1441/वि० दिनांक–22.01.2013 द्वारा दिनांक–01.08.2012 के प्रभाव से प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के वेतनमान को संशोधित करते हुए ग्रेड पे 4800/– से बढ़ाकर 6600/– PB-III, किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि श्री सिंह की सेवा अवधि 31 वर्ष 4 माह एवं 3 दिन में किस प्रकार की प्रोन्नति अथवा ACP का लाभ नहीं दिया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है ?	अस्वीकारात्मक। श्री विद्या प्रसाद सिंह की नियुक्ति प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में दिनांक–26.04.1984 को हुई है। इनकी सेवा निवृति की तिथि 31.07.2011 तक गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय आदेश सं०–823, दिनांक–25.02.2008 के द्वारा प्रथम ए०सी०पी० तथा कार्यालय आदेश सं०–4743, दिनांक–04.12.2008 के द्वारा द्वितीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति दी गयी है। इनकी सेवा अवधि 30 वर्ष पूर्ण नही होने के कारण तृतीय एम०ए०सी०पी० अनुमान्य नही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री सिंह को संकल्प संख्या–1441/वि०, दिनांक–22.01.2013 के आधार पर वेतन विसंगति को दूर करते हुए दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से आर्थिक लाभ ACP/MACP देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–28/2016-6295 राँची, दिनांक– 19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3346, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राजकुमार यादव, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–19 का उत्तर

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारी वर्षा से पुरे राज्य में जानमाल की क्षति घर मकान ध्वस्त तथा नदी की बाढ़ में बहने से मृत्यु हुई है ,,</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक ।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि भारी वर्षा से हुई जानमाल की क्षति घर मकान तथा बाढ़ से बहने पर मृतकों के लोगों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है ।</td><td>वित्तीय वर्ष 2016–17 में साहेबगंज, चतरा, रामगढ़, पलामू एवं गढ़वा जिलो से अतिवृष्टि/बाढ़ से हुए क्षति से राहत हेतु संबंधित जिला उपायुक्तों को निम्नवत् राशि आवंटित की गई है :–
<table>
<tr><th>क्र०सं०</th><th>जिला</th><th>आवंटित राशि (रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>साहेबगंज</td><td>1,50,00,000/–
(एक करोड़ पचास लाख)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>चतरा</td><td>1,50,00,000/–
(एक करोड़ पचास लाख)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>रामगढ़</td><td>20,00,000/–
(बीस लाख)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पलामू</td><td>2,00,00,000/–
(दो करोड़)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>गढ़वा</td><td>2,00,00,000/–
(दो करोड़)</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल–</td><td>7,20,00,000/–
(सात करोड़ बीस लाख) ।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के भारी वर्षा से प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>उक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–55/2016–1144/आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/11/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3247, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016

सरकार के अवर सचिव

माननीय स०वि०स० श्री मनीष जायसवाल द्वारा दिनांक 21.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–45 का उत्तर।

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग–35 वर्ष SC एवं ST वर्ग–40 वर्ष, महिला अनारक्षित, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग–38 तथा Annexure-1 और 2 पिछड़ा वर्ग हेतु 37 वर्ष निर्धारित है;</td><td>स्वीकारात्मक है।
कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–609 दिनांक–25.01.2016 के द्वारा दिनांक–01.01.2016 से 31.12.2020 तक के लिए झारखण्ड राज्य के सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्रसीमा का निर्धारण निम्नरूपेण किया गया है:–
<table>
<tr><th></th><th></th><th></th><th><u>विकलांगों के लिए</u></th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>अनारक्षित</td><td>– 35 वर्ष</td><td>– 40 वर्ष</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग</td><td>– 37 वर्ष</td><td>– 42 वर्ष</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)</td><td>– 38 वर्ष</td><td>– 43 वर्ष</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)</td><td>– 40 वर्ष</td><td>– 45 वर्ष</td></tr>
</table>
नोटः–भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तराखंड इत्यादि राज्यों में खण्ड–01 में वर्णित परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा अनारक्षित वर्ग–37 वर्ष, SC एवं ST वर्ग–42 वर्ष एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष व महिला सहित) हेतु 40 वर्ष निर्धारित है;</td><td>सूचना उपलब्ध नहीं है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात् खण्ड–01 में वर्णित आयोग द्वारा आयोजित उक्त परीक्षा वर्षवार नहीं होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों की आयु सीमा समाप्त हो गई है;</td><td>अस्वीकारात्मक है।
संबंधित आयोग के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता रहा है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, खण्ड–01 में वर्णित परीक्षा की आयु सीमा खण्ड–02 में वर्णित राज्यों के समान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–31/2016 का०– 9750 /राँची, दिनांक– 18.11.16

प्रतिलिपि–अ० स०, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3348, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 18/11/16

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हवलदार श्री महेश्वर टुडू, आरक्षी श्री सोनाराम किस्कू एवं श्री अमित धीरज लकड़ा को वरीय आरक्षी अधीक्षक, राँची द्वारा अक्टूबर–2016 में बिना कारण पृच्छा के कर्त्तव्य स्थल में रहने पर भी निलंबित किया गया ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सूचित करने के बावजूद विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों एवं महानुभावों के साथ प्रतिनियुक्त 35 अंगरक्षकों में से 10 अंगरक्षकों द्वारा पुलिस केन्द्र, राँची में योगदान नहीं किया गया। जिसके कारण राँची जिलादेश सं0–4993/2016, ज्ञापांक 8426/र0का0, दिनांक 12.10.2016 के द्वारा उन्हें अनुशासनिक आधार पर निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया था। प्रश्न में अंकित तीनों पुलिस कर्मी उन्हीं 10 अंगरक्षकों में शामिल हैं।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित कर्मियों की सेवा निलंबन की तिथि से ही वापस करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	छठ पूजा (2016) के अवसर पर विधि व्यवस्था ड्यूटी एवं बल की कमी को देखते हुए निलंबित पुलिसकर्मियों को राँची जिलादेश सं०–5317/2016 के द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया। जिसमें उपर अंकित तीनों पुलिस कर्मी भी शामिल है। निलंबन अवधि पर निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लेने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–14/वि०स०–02/2016.6303 राँची, दिनांक–19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3214, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–23 की उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि आपदा प्रबंधन विभाग के विभागीय संकल्प संख्या–1683 दिनांक–03.12.2015 द्वारा राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने एवं दिनांक–28.12.2015 को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से लातेहार जिला को 16,49,48,000/– रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद एवं मापदण्डों के अनुसार राशि का प्रत्यार्पण 26 मार्च, 2016 के पूर्व ऑनलाईन करने का दायित्व उपायुक्त तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दिया गया ;	स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला में आज तक सुखाड़ से ग्रसित कृषकों को इनके मुआवजे की राशि आवंटन के पश्चात् भी भुगतान नहीं की गई है ;	लातेहार जिला में वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूखाड़ से ग्रसित 29914 कृषकों के बीच 9,58,64,055/– (नौ करोड़ अंठावन लाख चौसठ हजार पचपन) रूपये का भुगतान DBT के माध्यम से संबंधित कृषकों के खाते में भुगतान कर दी गयी है एवं शेष का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, लातेहार जिला के वैसे किसान जिनका फसल वर्षा के अभाव में नष्ट हो गया और उन्हें एस०डी०आर०एफ० से निर्धारित राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–61/2016–1155/आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/11/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3339, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016
सरकार के अवर सचिव

माननीय श्री कुणाल षंडगी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 21.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

माननीय श्री कुणाल षंडगी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 21.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–15 का उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत अंकित है:–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि माल/मल्ल क्षत्रिय दण्डक्षत्र मांझी जैसे जातियां राज्य में सूचीबद्ध नहीं है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि यह सारी जातियॉ पड़ोसी राज्य पं0 बंगाल तथा उड़ीसा में अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है,	अंशतः स्वीकारात्मक। ओड़िशा राज्य में दण्डक्षत्र मांझी जाति, अनुसूचित जाति में सम्मिलित है।
3	क्या यह बात सही है कि इन जातियों को अनुसूचित जातियों में सूचीबद्ध करने के लिए राज्य सरकार ने जाँच की सारी प्रक्रिया पूरी करके केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजी है,	दण्डक्षत्र मांझी जाति को राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध करने सम्बन्धी राज्य सरकार की अनुशंसा पर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा की गई टिप्पणी के आलोक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव के समर्थन में मांगा गया औचित्य राज्य सरकार द्वारा पत्र सं0–13785, दिनांक–17.12.2012 द्वारा भेज दी गयी है। यह मामला भारत सरकार के समक्ष सम्प्रति विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में लिए गये निर्णय के लिए भारत सरकार को पत्रांक–1372, दिनांक–16.02.2016 द्वारा स्मारित भी किया गया है। माल/मल्ल (क्षत्रिय) के मामले राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा की गयी टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय काल्याण शोध संस्थान, राँची से मन्तव्य की मांग की गयी है। वांछित मन्तव्य प्राप्त नहीं है। पत्र सं0– 9667, दिनांक–17.11.2016 द्वारा स्मारित किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार केन्द्र सरकार को इन जातियों को अनुसूचित जातियों में सूचीबद्ध करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 1,2 एवं 3 के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–47/2016 का0–....9716........../रांची, दिनांक...18/11/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–3251 वि0स0 दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/2016
(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अनंत कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–13 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का राजमहल विधान सभा क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है, जहॉ राहत वितरण में गड़बड़ियों के रोकथाम एवं आपदा से निबटने हेतु त्वरित व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है ,	आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले साहेबगंज जिला के अंचल यथा–साहेबगंज, राजमहल, उधवा अंचल पूर्णतः एवं तालझारी अंचल आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित होता है । बाढ़ से निपटने हेतु पूर्व तैयारी जिला स्तर से की जाती है। बाढ़ के समय प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं कर्मी की देख रेख में राहत सामग्री का वितरण किया जाता है। राहत सामग्री वितरण में कहीं से गड़बड़ी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।
2. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत दर्जनों गॉव गंगा के तटवर्त्ती एवं मध्य क्षेत्र में अवस्थित है, जहॉ के आमजन प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं गर्मी के दिनों में आगजनी (अगलगी) से प्रभावित होते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखण्ड में अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं रहने के कारण आगलगी की घटनाओं पर काबू पाने में कठिनाईयॉ होती है ,	यह बात सही है कि उधवा प्रखण्ड में अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं है । उधवा अंचल के दियारा क्षेत्र में अत्यधिक अग्निकांड की घटना घटित होने के कारण जिला स्तर से उधवा अंचल अंतर्गत राधानगर थाना में अग्निशमन दल के साथ अग्निशमन वाहन को स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज जिला के बाढ़ प्रभावित आमजनों को सही रूप से राहत वितरण, आपदा से निबटने हेतु समुचित व्यवस्था एवं उधवा प्रखण्ड में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राजमहल अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशमालय खोलने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07 / गृ०का०आ०(विधायी)–53 / 2016–1149 /आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/11/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3219, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में / विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग / अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016
सरकार के अवर सचिव

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के चन्दवा प्रखण्ड अंतर्गत निंदरा ग्राम राँची जिला के सीमा पर स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि निंदरा ग्राम चन्दवा थाना से 20 कि०मी० दूरी पर स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि चन्दवा थाना से काफी दूरी होने के कारण उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है ;	अस्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि निंदरा ग्राम के आस–पास जंगल में उग्रवादी कहीं भी घटना को अंजाम देकर उसी क्षेत्र में छुपे रहते है ;	अस्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में निंदरा ग्राम में पुलिस पिकेट स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निंदरा ग्राम चंदवा थाना से लगभग 20 कि०मी० की दूरी पर स्थित है, परन्तु मैक्लुस्कीगंज थाना से इसकी दूरी करीब 06–07 कि०मी० है। मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में एस०एस०बी० की एक कम्पनी स्थित है जो उग्रवादियों के विरूद्ध लागातार अभियान में लगी रहती है। इसके अलावे उग्रवादी गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर लातेहार जिला पुलिस एवं राँची जिला पुलिस के द्वारा निरंतर संयुक्त अभियान चलाकर इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाता है। सम्प्रति निंदरा ग्राम में पुलिस पिकेट स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–22 / 2016 6294 / राँची, दिनांक– 19/11/2016 ई०।
प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3215, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अनिल मुरमू, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय कारा, दुमका में लगभग 183 ऐसे कैदी हैं जिन्होंने सजा की अवधि तो पूरी कर ली है, परन्तु बेवजह उन्हें कारा से मुक्त नहीं किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्रीय कारा, दुमका में सजा की अवधि पूरी कर लेने वाले कैदियों को कारा से मुक्त करने की इरादा रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	1. आजीवन कारावास के सजावार बंदियों का असमय कारामुक्ति की कार्यवाई राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में किए गए अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है। राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक प्रत्येक तीन माह पर आहुत की जाती है तथा पूर्व बैठक में अस्वीकृत मामलों को पुनः एक वर्ष के उपरांत ही विचार किए जाने का प्रावधान है। 2. वर्तमान में केन्द्रीय कारा, दुमका में 48 आजीवन कारावास के सजा प्राप्त बंदी संसीमित है जिन्हें विगत राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में उपस्थापित असमय कारामुक्ति प्रस्ताव को समीक्षोपरांत अस्वीकृत किया गया था।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–24/2016..5286/ राँची, दिनांक–19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3341, दिनांक–16.11.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–04 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वर्षा ऋतु में सम्पूर्ण पलामू जिले में भारी वर्षापात के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मकान, कृषि, आहर, तालाब एवं अन्य संसाधनों को भारी क्षति पहुँची है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास हेतु आपदा राहत देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण हुई क्षति के लिए राहत हेतु 2,00,00,000/– (दो करोड़) रूपये का आवंटन दिया गया है । पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास हेतु नौडिहा बाजार, हुसैनाबाद, नावाबाजार एवं मनातू के कुल 400 क्षतिग्रस्त मकानों के प्रभावितों को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा शेष प्रभावित लोगों को मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–56/2016–1148/आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/11/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3218, दिनांक–13.11.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016
सरकार के अवर सचिव